राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(महात्मा गांधी नरेगा, अनुभाग–3)

क्रमांकः एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./राजकाज–0057/2013 जयपुर, दिनांक 03 FEB 2022

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत **Good Governance** के तहत की गई पहल पर कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भः– विभागीय समसंख्सक पत्र दिनांक 08.12.2017, 29.12.2017, 10.04.2018 एवं 19.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत **Good Governance** के तहत की गई निम्न पहल पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए थे । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत राजस्थान राज्य की वर्ष 2021–22 के लेबर बजट के संबंध में आयोजित समीक्षात्मक बैठक दिनांक 17.01.2022 को निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है :–

1. प्रत्येक कार्य स्थल पर स्थायी " नागरिक सूचना बोर्ड" लगाना,
2. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 7 **mandatory** रजिस्ट्रर का संधारण करना,
3. प्रत्येक कार्य स्थल पर तथा ग्राम पंचायत मे कार्य की पत्रावली का संधारण,
4. नए जॉब कार्ड जारी करना तथा इनका नवीनीकरण, अद्यतन तथा सत्यापन करना,

संदर्भित पत्रों द्वारा दिए निर्देशों के अनुसार उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। प्रत्येक कार्य स्थल पर स्थायी नागरिक सूचना बोर्ड तथा जॉब कार्ड सत्यापन व अद्यतन की सुनिश्चितता के संबंध में भी ग्राम पंचायतवार प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला स्तर से ईकजाई प्रमाण पत्र 10.02.2022 से पूर्व (संलग्न प्रारूप में) भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(के.के.शर्मा)
परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

कार्यालय जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा

जिला...

प्रमाणित किया जाता है कि जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप निम्न कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है :–

1. प्रत्येक कार्यस्थल पर स्थायी ''नागरिक सूचना बोर्ड'' लगाना,
2. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 7 मैनेडिटरी रजिस्टर का संधारण करना,
3. प्रत्येक कार्यस्थल पर तथा ग्राम पंचायत में कार्य की पत्रावली का संधारण,
4. नये जॉबकार्ड जारी करना तथा इनका नवीनीकरण, अद्यतन तथा सत्यापन करना,
5. ग्राम पंचायतवार लेखा नियमों के अनुरूप रिकॉर्ड का संधारणं

दिनांक ....

जिला कलेक्टर सह जिला
कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा
गांधी नरेगा

जिला..............................